JALAUN POLICE

दिनांक- 11.02.2026

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में स्वाट टीम जनपद जालौन व कोतवाली उरई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्तगण को 02.332 किलोग्राम नाजायज गांजा(कीमत करीब 50,000/- पचास हजार रूपये) व पूर्व में बेचे गये गांजे से करीब 80,000/ रुपये(अस्सी हजार रुपये) नगद व एक अदद कार स्कार्पियो व 03 अदद एण्ड्रायड मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 11.02.2026 को स्वाट टीम जनपद जालौन व कोतवाली उरई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कोतवाली उरई क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर/वांछित अपराधी, नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधी एवं सुरागरसी-पतारसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर कोतवाली उरई पुलिस द्वारा कानपुर झांसी हाईवे पर स्थित अजनारी पुल के नीचे सर्विश रोड पर उतरे और ओबरब्रिज के नीचे पहुंचे तो एक संदिग्ध सफेद रंग की स्कार्पियो गाड़ी नं0 UP92 S 0722 पुल के नीचे सड़क किनारे सुनसान जगह खड़ी हुयी थी। तभी उक्त गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और गाड़ी के पास पहुंचकर टार्च से गाड़ी के अंदर देखने का प्रयास किया गया तो गाड़ी में बैठे व्यक्ति एकदम सकपकाकर खिड़की खोलकर निकलने का प्रयास करने लगे तभी तीनों व्यक्तियों को मौके पर ही पकड़ लिया। अभियुक्तगण 1.बालकिशुन पुत्र मंगल पाल नि0 ग्रा0 गिरथान थाना एट जनपद जालौन उम्र करीब 52 वर्ष 2.सुरेन्द्र पाल पुत्र हरीराम नि0 ग्रा0 गिरथान थाना एट जनपद जालौन उम्र करीब 57 वर्ष 3.दीपक यादव पुत्र कल्याण सिंह नि0ग्रा0 गिरथान थाना एट जनपद जालौन उम्र करीब 25 वर्ष को 2.332 किलोग्राम नाजायज गांजा(कीमत करीब 50,000/- रूपये) व पूर्व मे गांजे के विक्रय से प्राप्त 80,000/ रुपये(अस्सी हजार रुपये) व एक अदद कार स्कार्पियो व 03 अदद एण्ड्रायड मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी के संबंध में कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0 72/2026 धारा 8/20 NDPS ACT अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया कि साहब इस गाडी(स्कार्पियों) मे जो थैला है उसमे गांजा है जिसे हम लोग आज बेचने के लिये लेकर आये थे और यहां गाड़ी खड़ी करके खरीददार का इंतजार कर रहे थे। तभी आप लोगो ने हम लोगो को पकड़ लिया। हम लोगों के पास जो पैसे हैं वह भी पूर्व में गांजे को बेचकर मिले हैं बेचने से जो भी पैसा मिलता है। उससे अपने घरेलू खर्च और शौक-शान पर खर्च कर देतें हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.बालकिशुन पुत्र मंगल पाल नि0 ग्रा0 गिरथान थाना एट जनपद जालौन उम्र करीब 52 वर्ष
2.सुरेन्द्र पाल पुत्र हरीराम नि0 ग्रा0 गिरथान थाना एट जनपद जालौन उम्र करीब 57 वर्ष
3.दीपक यादव पुत्र कल्याण सिंह नि0ग्रा0 गिरथान थाना एट जनपद जालौन उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास –

1. बालकिशुन पुत्र मंगल पाल -
1. मु0अ0सं0 72/2026 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कोत0उरई जनपद जालौन
2. सुरेन्द्र पाल पुत्र हरीराम -
1. मु0अ0सं0 72/2026 धारा 8/20 NDPS ACT कोत0उरई जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0 183/2005 धारा 323/325/336/504/506 भादवि थाना एट जनपद जालौन
3. मु0अ0सं0 844/2008 धारा 396/412 भादवि थाना एट जनपद जालौन
4.मु0अ0सं0 535/2008 धारा 8/20 NDPS ACT थाना एट जनपद जालौन
5. मु0अ0सं0 920/2008 धारा 3 उ0प्र0 गुण्डा एक्ट थाना एट जनपद जालौन
6. मु0अ0सं0 97/2018 धारा 13 जुआ अधि0 थाना एट जनपद जालौन
3. दीपक यादव पुत्र कल्याण सिंह-
1. मु0अ0सं0 72/2026 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कोत0उरई जिला जालौन

अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी आस-पास के जनपदों/थानो से की जा रही है।

बरामदगी विवरण

1. 02.332 कि0ग्रा0 नाजायज गांजा।
2. 03 अदद एण्ड्रायड मोबाइल।
3. एक अदद कार स्कार्पियो रजिस्ट्रेशन संख्या UP92 S 0722 (धारा 207 एमवीएक्ट में सीज)
4. पूर्व मे विक्रय गांजे से प्राप्त करीब 80,000/ रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई मय पुलिस टीम
2. स्वाट टीम जनपद जालौन।